

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं० सं०-17/विविध 01-49/2018

/स्वा०, पटना, दिनांक-

आदेश

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-83 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अधीक्षक जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा का विपत्र कोड-2210011100024 है।

आदेश में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(विवेकानन्द ठाकुर)
अवर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 164(17)


पटना, दिनांक- 05/3/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/प्रार्चाय एवं अधीक्षक जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अवर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।